

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI



आइये समझे जी.एस.टी. को

भाग -4

छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए
दिनांक 15 अप्रैल 2017

कर की दर - RATE OF TAX

जी.एस.टी. को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल व्यापार एवं उद्योग में लगे हुए कर दाताओं के मन में है कि जिस वस्तु का वे उत्पादन एवं व्यापार कर रहे हैं उस पर कर की दर क्या होगी !!! इसी से जुड़ा यह भी सवाल है कि किन -किन वस्तुओं को कर मुक्त रखा जाएगा ?

आइये आज कर की दरों के बारे में आपसे बात करते हैं :-

GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI

कर की मुख्य दरें क्या होगी

केंद्र और राज्य सरकार की जी.एस.टी. कौंसिल के सदस्यों जिनमें राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधी शामिल हैं ने कर की दरों के सम्बन्ध में एक फैसला ले लिया है और उनके द्वारा 4 दरों की बात की गई है . यह दरें 5 प्रतिशत , 12 प्रतिशत , 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत होंगी . इन दरों के दौरान विभिन्न कर की दरों के अंतर्गत करयोग्य वस्तुओं की सूची जारी नहीं की गई है इसलिए इस समय यह तो नहीं कहा जा सकता कि कौनसी वस्तु किस कर की दर के तहत आएगी .

क्या करमुक्त रहने की संभावना है ?

खाध्यान सहित आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को टैक्स फ्री रखा जा रहा है . इस लिहाज से उपभोक्ता मूल्यस सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा और यह वस्तुएं करमुक्त की श्रेणी में आयेंगी . इस प्रकार आप मान सकते हैं कि गेहूँ , चावल , दालें , मक्का , बाजरा इत्यादि जो इस समय अधिकाँश राज्यों में करमुक्त हैं के जी.एस.टी. के दौरान भी करमुक्त रहने की पूरी संभावना है .

GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI

अन्य दरों में कौन - कौन सी वस्तुएं समाहित होंगी ?

सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी जो कि 5 प्रतिशत की दर होगी .

शेष वस्तुओं पर या तो 12 प्रतिशत कर की दर होगी या फिर 18 प्रतिशत जिसे की "स्टैंडर्ड रेट" कहा गया है.

सबसे ऊंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत लागू होगी. ऊंची दर के साथ इन पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा.

सोने - चांदी जेवरात इत्यादि पर कर की दर क्या होगी ?

सोने पर 3 या 4 प्रतिशत की दर लगाए जाने की संभावना है लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस सम्बन्ध में अंतिम कुछ भी नहीं आया है .

करमुक्त वस्तुओं की सूची एवं हर कर की दर में समाहित वस्तुओं की सूची की भी अभी प्रतीक्षा है .

निर्यात पर कर का क्या होगा ?

सभी प्रकार के एक्सपोर्ट "शून्य कर" की श्रेणी में आयेंगे और इनके लिए जो भी इनपुट होगा चाहे वह सर्विस के लिए हो या गुड्स के लिए रिफंड कर दिया जाएगा . यही प्रणाली अभी भी लागू है .

GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI

सेवाओं पर कर की दर क्या हो सकती है ?

अधिकांश सेवाओं पर अभी प्रभावी सेवा कर की दर 15 प्रतिशत है जो कि 18 प्रतिशत होने की सम्भावना है लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं पर कर की दर अभी की तरह ही कम हो सकती है .

इस सम्बन्ध में प्राप्त खबरों के अनुसार चिकित्सा , शिक्षा एवं कृषि सम्बन्धी सेवाओं की करमुक्त ही रहने की पूरी संभावना है .अभी और जो भी सेवाएं करमुक्त हैं उनके फिलहाल जी.एस.टी के दौरान भी करमुक्त रहने की पूरी संभावना है .

अब जी.एस.टी. शीघ्र ही लगने वाला है अतः सरकार को वस्तुओं की दर की एक अंतरिम सूचि तो जारी कर ही देनी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में व्यापार एवं उद्योग जगत की एक उत्सुकता तो समाप्त हो . कर की अंतिम रूप से लागू होने वाली सूचि में परिवर्तन का अधिकार तो सरकार के पास हमेशा की तरह है ही .

कब दरें तय होगी - क्या संभावना है ?

लेकिन इस सम्बन्ध में अभी जो अधिकारिक समाचार आ रहे हैं उनके अनुसार जी.एस.टी. की दरें तय करना कोई आसान काम नहीं होगा . इसके लिए पहले कर मुक्त वस्तुओं और सेवाओं की सूचि बनाई जायेगी और इसके बाद ही करों की अंतिम दरों की सूचि तय होगी और इसमें अभी समय लगेगा और ऐसी संभावना है कि जी.एस.टी. लगने के ठीक पहले ही यह सूचि पूरी तरह से घोषित की जायेगी

नोट :- इसे पढ़ें और उन लोगों को अग्रेषित (FORWARD) करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है .

-सी.ए.सुधीर हालाखंडी -

E-mail ID Sudhirhalakhandi@gmail.com

Visit our GST face book page:-

<https://www.facebook.com/Goods-and-Service-Tax-Ca-Sudhir-Halakhandi-855899974452868/>

व्हाट्स एप्प के लिए प्रयोग करें

98280-67256



GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI